राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : **अतारांकित**

प्रश्न संख्या : **198**

दिनांक : **26.08.2019**

प्रश्नकर्त्ता का नाम : **श्री ओम प्रकाश शर्मा**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; इसकी विस्तृत जानकारी दें; और	दिल्ली सरकार ने दिनांक 23–8–2018 को नेशनल हेल्थ एजेंसी (अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी) को आग्रह किया था कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में आम आदमी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना –आयुष्मान भारत के नाम से कार्यान्वयन किया जाए । डिप्टी सी.ई.ओ. नेशनल हेल्थ एजेंसी ने दिनांक 28–08–2018 को जवाब दिया कि यह एक राष्ट्रीय योजना है तथा इसमें पोर्टेबिलिटी का प्रावधान है इसलिए आयुष्मान भारत को उपसर्ग के तौर पर रखना अनिवार्य है, इस संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल हेल्थ एजेंसी/अथॉरिटी के बीच बैठक को चुकी है तथा वार्तालाप जारी है, तथा मामला विचाधीन है ।
ख)	इसके लिए सरकार की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?	**दिल्ली सरकार में वैकल्पिक व्यवस्था निम्नलिखित है :–** • 54 निजी अस्पताल जिनको भूमि आबंटन एजेंसी (डी.डी.ए.,एल एंड डी. ओ., एम. सी.डी., एवं डूसीब) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आबंटित किया गया है, उन अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जाता है । • इन अस्पतालों में 900 से अधिक फ्री बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए रिजर्व है । • सन् 2018 में कुल 9 लाख मरीजों का आउटडोर एवं 70000 मरीजों का इंडोर इलाज हुआ है । • दिल्ली आरोग्य कोष से सरकारी अस्पतालों में इलाज ले रहे मरीज जो दिल्ली के तीन वर्षों से निवासी हों एवं उनकी पारिवारिक मासिक आय तीन लाख रूपए सालाना से कम है तो दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा पात्रता पूर्ण होने के उपरान्त पांच लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । • उपरोक्त योजनानुसार दिल्ली के किसी भी अस्पताल द्वारा चिन्हित रेडियोलॉजिकल जांच एवं सर्जरी हेतु निजी सेंटरों में रेफर किया जाता है जहां जॉचें मुफ्त प्रदान की जाती हैं, जॉचों का पूर्ण खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है बशर्ते मरीज के पास दिल्ली का 01–12–2017 से पहले का पहचान पत्र हो । • इसके अतिरिक्त दिल्ली राज्य में किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना होने जिनका एम. एल.सी. दिल्ली पुलिस द्वारा बनाया गया हो, उनकी जान बचाने हेतु किसी भी निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है जिसका भुगतान दिल्ली आरोग्य कोष से किया जाता है ।

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Secrt., New Delhi